

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(07) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक: 28-10-26

समस्त लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक,
अतिरिक्त लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो),
राजस्थान.....

—:परिपत्र:-

विभाग के संज्ञान में आया है कि पोक्सो एक्ट से संबंधित गंभीर एवं जघन्य अपराध के प्रकरणों में जमानत प्रार्थना पत्रों/विचारण के विभिन्न स्तरों पर पीड़ित/शिकायतकर्ता को सम्यक तामील के अभाव में प्रकरण की अद्यतन जानकारी की सूचना नहीं हो पाती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा एकलपीठ आपराधिक विविध प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 11834/26 कालूराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.09.26 में भी उक्त मत व्यक्त किया गया है।

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 18.11.25 एवं 20.05.26 को समेकित करते हुए विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय (महिला उत्पीड़न) इत्यादि में बालकों और महिलाओं से संबंधित गंभीर एवं जघन्य अपराधों के प्रकरणों के विचारण, जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवायी और विचारण के अन्य विभिन्न स्तरों पर पीड़ित/शिकायतकर्ता को सुनवायी नोटिसों की सम्यक तामील करवायी जाकर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करवाए जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

1. पोक्सो एक्ट के प्रकरणों में संबंधित पीड़ित/शिकायतकर्ता को सुनवायी नोटिसों की व्यक्तिगत रूप से सम्यक तामील करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
2. पीड़ित/शिकायतकर्ता की उपस्थिति निवारित करने का तथ्य संज्ञान में आने पर उक्त स्थिति से सुनवायी और विचारण न्यायालय को अवगत कराया जाये और साक्षी संरक्षण योजना 2020 के प्रावधानों के अनुसार यथाआवश्यक कार्यवाही करायी जाए।
3. नियमानुसार तामील उपरांत उपस्थित पीड़ित/शिकायतकर्ता या साक्षी की बिना विलंब के विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. न्यायालय में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान संवेदनशील वातावरण बनाए रखा जाए तथा उनकी गरिमा एवं गोपनीयता का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
5. पीड़ित/साक्षी के बयान दर्ज करते समय अनावश्यक एवं अपमानजनक प्रश्न पूछने से बचा जाए तथा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए।
6. यौन अपराधों एवं बच्चों से संबंधित मामलों में निर्धारित दिशा-निर्देशों, विधिक प्रावधानों एवं उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों का कड़ाई से पालन किया जाए।
7. न्यायालय परिसर में महिला एवं बाल हितैषी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए तथा आवश्यकतानुसार परामर्श एवं सहायता प्रदान की जाए।
8. प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समुचित समन्वय स्थापित किया जाए।
9. न्यायालयीय समन, नोटिस एवं अन्य प्रक्रियाओं की तामील यथासंभव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ईमेल, एसएमएस अथवा अन्य अधिकृत डिजिटल माध्यमों के द्वारा भी कराई जाए, जैसा कि Rajasthan Electronic Processes (Issuance, Service and Execution) Rules, 2024 में प्रावधानित है।

10. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील किए गए समन/नोटिस की डिलीवरी रिपोर्ट, स्क्रीनशॉट, ईमेल ट्रैकिंग रिपोर्ट अथवा अन्य डिजिटल प्रमाण अभिलेख पर सुरक्षित रखे जाएँ एवं आवश्यकतानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ।
 11. पीड़ित/शिकायतकर्ता या उसके निकट सम्बन्धी और अधिवक्ता के मोबाईल नम्बर प्राप्त करने के प्रयास कर उपलब्ध नम्बरों पर भी सुनवायी नोटिसों की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जावे।
 12. संबंधित न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक तामील हेतु पक्षकारों के मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी एवं अन्य डिजिटल विवरण यथासंभव अभिलेख पर उपलब्ध कराए जाएँ।
 13. जहाँ सम्भव हो, समन की भौतिक तामील के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक तामील भी समानांतर रूप से कराई जाए ताकि प्रकरणों में अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।
 14. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए न्यायालयीय कार्यवाही को अधिक सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाए।
 15. आवश्यकता पड़ने पर Vulnerable Witness Deposition Centres (VWDCs) का उपयोग किया जाए, जिससे संवेदनशील गवाह सुरक्षित वातावरण में अपने बयान दे सके।
 16. गोपनीयता, सुरक्षा और पीड़ित के व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण को सीमित करना और संचार की गोपनीयता सुनिश्चित की जावे।
 17. न्यायालयों में पत्रावली प्रस्तुत करने से पूर्व परिपत्र के क्रम में चैक लिस्ट बनायी जाकर उक्त की पूर्ति उपरान्त ही पत्रावली प्रस्तुत कराने के निर्देश की पालना समस्त हितधारकों (Stakeholders) द्वारा किया जाना सुनिश्चित करावें।
- उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जाए तथा किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
4. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सह उप निदेशक, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि

Document certified by PRAMOD KUMAR
MALIK <rhjspramod.malik@gmail.com>

Digitally Signed by PRAMOD
KUMAR MALIK
Designation: Secretary
Date :28-10-2026 05:53:20

RajKaj Ref No.:
2503832F